

## राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

क्रमांक: सं.वि.सं. 13 /परीक्षा/RAS&amp;RTS/RPSC/EP-I/2024-25

दिनांक : 02.09.2024

आयोग द्वारा घासिक (क-4/2) विभाग के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संस्कृत प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999 के अन्तर्गत एवं अनुसूचित क्षेत्र हेतु राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिकवर्णीय और चारुष शब्दी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संगुला प्रतियोगी परीक्षा-2024 के बुल 733 (राज्य सेवाएं-346 एवं अधीनस्थ सेवाएं-387) पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थाई हैं एवं विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों (पदों में कमी/वृद्धि की जा सकती है) की सेवावाद संख्या व देहन मान निम्नानुसार है :-

## राज्य सेवाएं-346 पद

क्र. सं.	सेवा का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान (Pay Matrix)	क्र. सं.	सेवा का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान (Pay Matrix)
1	राजस्थान प्रशासनिक सेवा	28	L-14	12	राजस्थान परिवहन सेवा	92	L-12
2	राजस्थान पुलिस सेवा	50	L-14	13	राजस्थान समेकित बाल विकास सेवा	13	L-14
3	राजस्थान लेखा सेवा	199	L-14	14	राजस्थान दैवतस्थान सेवा	6	L-12
4	राजस्थान सहकारी सेवा	12	L-12	15	राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा	49	L-14
5	राजस्थान नियोजन सेवा	63	L-12	16	राजस्थान महिला विकास सेवा	6	L-14
6	राजस्थान कारागार सेवा	9	L-12	17	राजस्थान अम कल्याण सेवा	92	L-12
7	राजस्थान उद्योग सेवा	61	L-12	18	राजस्थान आडकारी (सामान्य जात्यां) सेवा	6	L-12
8	राजस्थान राज्य बीमा सेवा	63	L-14	19	राष्ट्रायकारी (Preventive Force) सेवा	6	L-12
9	राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा	59	L-12	20	राजस्थान अल्प संदर्भक मामलातः सेवा	6	L-12
10	राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद सेवा	67	L-12	21	राजस्थान राज्य कृषि सेवा (विषयन अधिकारी)	16	L-14
11	राजस्थान पर्यटन सेवा	6	L-12				

## अधीनस्थ सेवाएं-387 पद

क्र. सं.	सेवा का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान (Pay Matrix)	क्र. सं.	सेवा का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान (Pay Matrix)
1	राजस्थान दैवतस्थान अधीनस्थ सेवा (NSA)	11	L-10	14	राजस्थान समेकित बाल विकास अधीनस्थ सेवा (NSA)	64	L-11
2	राजस्थान दैवतस्थान अधीनस्थ सेवा (SA)	82	L-10	15	राजस्थान समेकित बाल विकास अधीनस्थ सेवा (SA)	6	L-11
3	राजस्थान सहकारी अधीनस्थ सेवा (NSA)	41	L-10	16	राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारीता अधीनस्थ सेवा (परिवीक्षा एवं कालागृह कल्याण अधिकारी) (NSA)	6	L-11
4	राजस्थान सहकारी अधीनस्थ सेवा (SA)	82	L-10	17	राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारीता अधीनस्थ सेवा (परिवीक्षा एवं कालागृह कल्याण अधिकारी) (SA)	61	L-11
5	राजस्थान लहरीलदार सेवा (NSA)	166	L-11	18	राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारीता अधीनस्थ सेवा (सामाजिक सुरक्षा अधिकारी) (NSA)	41	L-11
6	राजस्थान लहरीलदार सेवा (SA)	12	L-11	19	राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारीता अधीनस्थ सेवा (सामाजिक सुरक्षा अधिकारी) (SA)	68	L-11
7	राजस्थान आबकरी अधीनस्थ सेवा	9	L-10	20	राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारीता अधीनस्थ सेवा (प्रिल फॉरेंटीड संचार कल्याण अधिकारी) (NSA)	14	L-12
8	राजस्थान नियोजन अधीनस्थ सेवा	9	L-10	21	राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारीता अधीनस्थ सेवा (प्रिल फॉरेंटीड संचार कल्याण अधिकारी) (SA)	63	L-12
9	राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा	8	L-11	22	राजस्थान अम कल्याण अधीनस्थ सेवा (NSA)	68	L-10
10	राजस्थान वाणिज्यिक कर अधीनस्थ सेवा (NSA)	8	L-10	23	राजस्थान अम कल्याण अधीनस्थ सेवा (SA)	6	L-10
11	राजस्थान वाणिज्यिक कर अधीनस्थ सेवा (SA)	8	L-10	24	राजस्थान अल्प संदर्भक मामलातः अधीनस्थ सेवा (Programme Officer)	6	L-11
12	राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद अधीनस्थ सेवा (NSA)	17	L-10	25	राजस्थान अधीनस्थ सेवा "राज्य कृषि विषयक विभाग अनुग्राम" (कमिश्न विषयन अधिकारी)	55	L-11
13	राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद अधीनस्थ सेवा (SA)	91	L-10				

नोट— पदों के सेवावाद वर्गवाद वर्गीकरण के संबंध परिसीध—। संलग्न है।

### विशेष नोट :-

- अनुसूचित क्षेत्र के अध्यक्षी गैर अनुसूचित क्षेत्र की शिक्षियों के विकास भी पात्र है। अनुसूचित क्षेत्र के पदों के विकास कंदल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के अध्यक्षी ही औन्लाइन आवेदन करते हैं। अन्य क्षेत्र के अध्यक्षी यदि अनुसूचित के पदों के लिए आवेदन करते हैं तो वे उपात्र होते हैं। अनुसूचित क्षेत्र के लिए आवेदन करने साथे अध्यक्षियों को अनुसूचित क्षेत्र में निवासित होने का प्रमाण पत्र यथासमय उत्थायें कायात्प्राप्ति द्वारा भागी जाने पर प्रस्तुत करना होता अन्यथा अपात्र होते हैं।
  - अधीनसत्त्व संस्थाओं की 25 संस्थाएँ 1, 3, 12, 22 एवं 25 के पदों में ही विधायीय कर्मसाधारणी हेतु पद आवश्यक है। अब इन अधीनसत्त्व पदों हेतु संबंधित विभाग में कार्यस्थ भौतिकीय कर्मसाधारणी ही आवेदन करें एवं आवेदन-पत्र को लौलम से DC (विधायीय कर्मसाधारणी) को उत्पत्तेय अवश्य करते हुए अन्य आवश्यक पूर्ति करें अन्यथा DC वर्ग का लाभ देने वाली होगी। अन्य विभागों में कार्यस्थ कर्मसाधारणी यदि इस वर्ग हेतु आवेदन करते हैं तो उन्हें इस वर्ग (DC) हेतु पात्र नहीं माना जाएगा।
  - अक्षण्याधिकारी कर्मसाधारणी हेतु आवश्यक पदों के सम्बन्ध में :-

राज्य सेवार्थी में अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए आरक्षित पदों हेतु शासनस्थान सरकार, शासनस्थान की पंचायत समितियाँ एवं जिला परिषदों के कर्मचारी ही पात्र होंगे। अराजपत्रित कर्मचारी को नारो परीक्षा (राज्य सेवार्थी में उनके लिए आरक्षित पदों पर) में हेतु आवेदक को निम्न फैल पूर्ण करना चाहिए:-

**अनुभव**—The Candidate must have completed not less than five years of service whether officiating or substantive, on the 1st day of January 2025.

चौट-

- (1) आवेदक को दिनांक 01.01.2025 तक सेवा का कुल प्रियता अनुग्रह प्राप्त होगा, उसकी गणना कर दिन, माह व वर्ष की पृष्ठे निर्धारित कॉलम में अवश्य करें।

(2) In filling the vacancies so reserved, the candidates who are "non-gazetted employees" shall be eligible for appointment in the order in which their names appear in the list irrespective of their relative marks as compared with other candidates.

(3) If a sufficient number of candidates who are non-gazetted employees is not available for filling all the vacancies so reserved, the remaining vacancies shall be filled by appointing other candidates in the list.

टिप्पणी -

1. अधीनस्थ सेवा के मंत्रालयिक कार्मिक DC व NGE होते हैं। DC के रूप में आवेदन करने के साथ ही NGE वर्ग का लाभ देय होगा अर्थात् इस प्रकार के आवेदक DC व NGE वर्ग में आवेदन कर सकते हैं।
  2. NGE वर्ग में आवेदन करने पर NGE वर्ग के लिये नियांरित आयु व अनुभव प्राप्त करना आवश्यक है।
  3. DC व NGE वर्ग में आवेदन करने पर प्राप्तिकों के आधार पर NGE कट-ऑफ में नहीं आगे की स्थिति में NGE वर्ग के लिये आयु सीमा न दिये गये छूट के प्रावधान DC वर्ग के आवेदक पर लागू नहीं होगे।
  4. DC वर्ग के रूप में संबंधित विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारी पात्र माने जायेंगे। अन्य विभागों के मंत्रालयिक एवं अधीनस्थ सेवा के कार्मिकों को DC वर्ग का लाभ देय नहीं होगा, उनके केवल NGE वर्ग के पदों के विशेष आवेदन करने पर उनकी पात्रता (लाभ देय होगा) पर विचार किया जायेगा।

नाटक :-

- कानूनिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुशृंखित जनजातियों या, धर्मास्थिति, अनुत्तुष्टित जनजातियों एवं कानूनिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.07.2023 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए पिछड़े वर्षों और, धर्मास्थिति आति पिछड़े वर्षों के पात्र तथा उपयुक्त अन्यथा उपलब्ध न होने की दशा में उनको लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्याहारी तीन भर्ती वर्षों के लिए अप्रगति किया जाएगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात् ऐसी अन्यान्य प्रक्रिया के अनुसार भर्ती जारीयों परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में नहीं नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस सेस्टर के अनुसार पटों के अरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और सेस्टर में आरक्षित पटों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुशृंखित जातियों या, धर्मास्थिति, अनुत्तुष्टित जनजातियों, पिछड़े वर्षों और, धर्मास्थिति आति पिछड़े वर्षों के जातियों में से उन जा सकेगा जिनको लिए ऐसी रिक्ति पश्चात्याहारी वर्षों में उपलब्ध हो।
  - राजस्वान राज्य के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ष (E.W.S.) के लिए आरक्षित पटों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अन्यथा उपलब्ध नहीं होने पर इन पटों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।
  - किसी वर्ष विशेष में या तो विधाया या विधिन्द्रिय में पात्र और उपयुक्त अन्यथाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अन्यथाओं के उपलब्ध न होने की दशा में विधायों को प्रवर्गत अन्तर्र-परिवर्तन द्वारा, अर्थात् विधायों के लिए आरक्षित रिक्तियों को विधिन्द्रिय विवाह/परिवर्तन/तलाकजुदा महिलाओं से या इसके विपरीत (Vice Versa) के लिए आरक्षित रिक्तियों से भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधाया और विधिन्द्रिय विवाह/परिवर्तन/तलाकजुदा अन्यथाओं के उपलब्ध न होने की दशा में न आरक्षित रिक्तियों उस प्रदर्शी के पुरुष अन्यथाओं द्वारा भरी जाएगी और यात्र तथा उपयुक्त महिला अन्यथाओं के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार के लिए अप्रगति नहीं की जाएगी। विधायों और विधिन्द्रिय विवाह/परिवर्तन/तलाकजुदा महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण विकल्प के प्रवर्ग के भीतर स्थिति आकाश भरी जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में व्यवसित महिलाओं को भी पहले महिला बोटे ये विकल्प सम्भव्यतित किया जायेगा।
  - विशेष योग्यजन/निःशक्तजन के लिए दस्तावेज़ पटों या आकाश स्थिति (Horizontal) है अर्थात् अन्यथा जिस बन का होगा उसी उसी वर्ष के अन्तर्गत समाधीजित किया जायेगा।
  - साजस्वान सिविल सेवा (भूतपूर्व सीनियरों का आगेलन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सीनियरों वे लिए रिक्तियों का आकाश सीधी भर्ती में प्रदर्शवार स्थिति (Categorywise-Horizontal) होगा। किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपयुक्त भूतपूर्व सीनियरों की अनुपलब्धता की दशा में, उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तिया राजान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जाएगी और रिक्तियों की समान संख्या अगले नहीं वर्ष में अप्रगति की जारीयी तथा तपश्चात् ऐसी रिक्तियां व्यवसाय हो जाएंगी।
  - राजस्वान विवाहान्नगन उत्पादकार नियम, 2018 के अनुसार जहाँ किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति उपयुक्त बैचमार्क निःशक्तजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अप्रगति की जारीयी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैचमार्क निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रवर्गत निःशक्तजन की निर्धारिति विभिन्न श्रेष्ठियों में अन्तरपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जायेगा। यदि उस वर्ष में भी कोई निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोजिता उस रिक्ति की निःशक्तजन के अलावा उन्ह्य व्यक्ति से भर सकेगा।
  - अनुशृंखित जाति, अनुशृंखित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ष, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ष एवं भूतपूर्व सीनियर हेतु आरक्षित पटों का लाभ राजस्वान राज्य के मूल नियवसियों को ही देय है। अन्य राज्य के आवेदकों को उसके लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ष के अन्तर्गत ही आगेलन करना होगा। माननीय संघर्षव्यवसाय द्वारा C.A., No. 1085/2013 में पारित नियम दिनांक 30.08.2018 एवं माननीय न्यायालय, जयपुर द्वारा D.B.S.A.W. No. 1116/2018 में पारित नियम दिनांक 18.09.2018 के अनुसार राजस्वान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जी विवाहेप्रबन्धन राजस्वान राज्य की मूल नियवासी बन जाती है तो उसे public employment में एसरी/एसटी/आईसी/एमसीसी वर्ष में आकाशण का लाभ नहीं दिया जायेगा। इसलिए उन्हें सामान्य वर्ष के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।
  - कानूनिक नियम की अधिकतम विवरण 15.07.2012 तक 21.01.2016 से लागू होता है।

उत्तराखण्ड की अनुसार हो उत्कृष्ट खिलादी की प्रतीक्षा रखने वाली है।

टेलिकॉम-<sup>1</sup> बिन्दु संख्या ०१ से

Must hold a Degree of any of the Universities incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other Educational Institution established by an Act of Parliament or declared to be deemed as a University under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 or possess an equivalent qualification recognized by the Government.

Note: 1. अमरीकी को वाचित शैक्षणिक अर्हता (शैक्षणिक योग्यता, अनुमति व आयु इत्यादि) होने पर ही Online आवेदन करना चाहिये लक्षापि आवृत्ति द्वारा अन्यर्थी को ऑफलाइन आवेदन पत्र की अनुमति संखेपन दिये रुक्त ऑफलाइन आवेदन पत्र को प्रत्याहारित (Withdrawal) करने का विकल्प उपलब्ध होगा।  
 2. असात्य एवं गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना तथा अर्हता नहीं होने पर भी उसे प्रत्याहारित (Withdrawal) नहीं किया जाना भारतीय न्याय रहित (BNS) की धारा 217 के तहत दण्डनीय अपराध है। ऐसे अन्यर्थी को जलालदार में जालालदार/प्राप्ति/उपर्युक्त की जानी चाहीय है।

आगामी एक वर्ष की अवधि के लिए भर्ती परीक्षाओं से दिवर्जिंट (Debar) किया जाएगा।

नामक 01.01.2025 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकात 40 वर्ष से कम।

<p><b>जनशक्ति कार्यालय</b> कर्मचारी विभाग । जनवरी, 2020 के 25 वर्ष का आयु प्राप्त कर बुका हो परन्तु 45 वर्ष का नहीं हुआ हो।</p> <p><b>नोट-</b> उक्त पदों का विज्ञापन अप्रैल हालां पूर्व में वर्ष 2023 में जारी किया गया जिसके तहत आयु गणना का आधार विनाक 01.01.2024 तक था था। उक्त विज्ञापन के अन्तर्गत आयु गणना का आधार दिनांक 01.01.2025 रखा गया है। इसलिए राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23.09.2008 के अनुसार उपर्युक्त अधिकारियों आयु सीमा में अतिरिक्त छूट देय नहीं होगी।</p>	<p><b>विज्ञापित पदों के अनुरूप वर्ताये गये आवधित पदों हेतु विभिन्न वर्ग / अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान</b></p> <p><b>अन्यशृंखला की वर्ग एवं अन्य विशिष्ट श्रेणियाँ</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">क्र.सं.</th><th style="width: 80%;">अधिकारियों की वर्ग एवं अन्य विशिष्ट श्रेणियाँ</th><th style="width: 10%;">अधिकारियों की वर्ग एवं अन्य विशिष्ट श्रेणियाँ</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td><td style="text-align: center;">राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के पुरुष Male Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections of Rajasthan State</td><td style="text-align: center;">5 वर्ष Five Years</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td><td style="text-align: center;">राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की महिला Woman Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections of Rajasthan State</td><td style="text-align: center;">10 वर्ष Ten Years</td></tr> </tbody> </table>	क्र.सं.	अधिकारियों की वर्ग एवं अन्य विशिष्ट श्रेणियाँ	अधिकारियों की वर्ग एवं अन्य विशिष्ट श्रेणियाँ	1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के पुरुष Male Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections of Rajasthan State	5 वर्ष Five Years	2.	राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की महिला Woman Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections of Rajasthan State	10 वर्ष Ten Years
क्र.सं.	अधिकारियों की वर्ग एवं अन्य विशिष्ट श्रेणियाँ	अधिकारियों की वर्ग एवं अन्य विशिष्ट श्रेणियाँ								
1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के पुरुष Male Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections of Rajasthan State	5 वर्ष Five Years								
2.	राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की महिला Woman Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections of Rajasthan State	10 वर्ष Ten Years								

3.	सामान्य (अनारकीले) वर्ग की महिला Woman Candidates belonging to General Category	5 वर्ष Five Years
4.	विधवा एवं विहिनि विवाह (परिवर्तना / तलाकमुद्दा) महिला Widows and Divorced women	अधिकतम आयु सीमा नहीं No Upper age limit
	<b>Explanation :-</b> In the case of a widow, she will have to furnish a certificate of death of her husband from the Competent Authority and in case of divorcee, she will have to furnish the proof of divorce.	
5.	उपर्युक्त उच्चतम आयु सीमा उस भूतपूर्व केंद्री के नामले में लागू नहीं होगी जो दोषसंदिक्षा से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर Substantive तौर पर सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था। The upper age limit mentioned above shall not apply in the case of an ex-prisoner who had served under Government on a substantive basis on any post before conviction and was eligible for appointment under the rules.	
6.	उस भूतपूर्व केंद्री के नामले में जो अपनी दोषसंदिक्षा के पूर्व अधिकायु नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र था, उपर्युक्त अधिकतम आयु सीमा में उसकी हासा मुक्त कालावधि के बदलाव की अपेक्षा की छूट दी जाएगी। The upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the term of imprisonment served in the case of an ex-prisoner who was not over age before his conviction and was eligible for appointment under the rules.	
7.	एन.सी.सी. के कैडेट प्राइमिकों के मामले में उपर्युक्त अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा एन.सी.सी. ने की गई सेवा की कालावधि के बदलाव में छूट दी जाएगी और यदि पारिणामिक आयु विहिनि अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहिनि आयु सीमा में ही समझा जाएगा। The upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the service rendered in the N.C.C., in the case of Cadet Instructor and if the resultant age does not exceed the prescribed maximum age limit by more than three years, they shall be deemed to be within the prescribed age limit.	
8.	रिजर्विस्टों अधीन सेवा में स्थानान्तरित च्या कार्यकों और भूतपूर्व सेवा कार्यकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी। The upper age limit for the reservist, namely the defence personnel transferred to the reserve and the ex-service personnel shall be 50 years.	
9.	नियुक्ति द्वारा आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों और उपर्युक्त सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को सेवा से नियुक्त होने के पश्चात् आयु सीमा में ही समझा जाएगा यहाँ उन्होंने आयोग के समझु उपरिक्त होने के समय आयु सीमा पार कर ली हो बशर्ते तिंहे सेवा में कमीशन घटाग करने की समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे। The Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers after release from the Army shall be deemed to be within the age limit when they appear before the Commission had been eligible as such at the time of their joining the Commission in the Army.	
10.	राजस्वान राज्य के किसाकालायी के सम्बन्ध में Substantive तौर पर कार्य कर रहे व्यक्तियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी। The upper age limit for persons serving in connection with the affairs of the State in substantive capacity shall be 45 years.	
11.	पंचायत समितियों द्वारा वित्ती परिवर्ती के कारबाहर में Substantive रूप से कारबाहा व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी। The upper age limit for persons serving in connection with affairs of Panchayat Samitis and Zila Parishads in substantive capacity shall be 45 years.	
12.	राजस्वान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणीय/नियमों में Substantive रूप से कार्य कर रहे व्यक्तियों की उपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी। The upper age limit for persons serving in State Public Sector Undertakings/Corporations in substantive capacity shall be 40 years.	
13.	राजस्वान विविल सेवा (भूतपूर्व सीनियर का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सीनियरों को राज्य सेवा के पदों डॉक्टर आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट तथा अधीनस्थ सेवा के पदों डॉक्टर 15 वर्ष की छूट देय होगी परन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहाँ निम्नतर पद पर अनुबूति भी अनिवार्य है वहाँ भूतपूर्व सीनियरों को इन नियमों के अधीन पहले से ही उपरिक्त आयु में दिये गये विविलकरण के अतिरिक्त निम्नतर पद पर के अधिकारियों अनुबूति की कालावधि के बदलाव आयु में सिविलीकरण दिया जाएगा। परन्तु इन नियमों के अधीन विविलकरण के पश्चात् यदि अनुबूति आयु 50 वर्ष से अधिक निकलती है तो उपरी आयु सीमा 50 वर्ष लागू होगी किन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहाँ निम्नतर पद का अनुबूति अनिवार्य है ताकि 55 वर्ष की अधिकतम उपरी आयु सीमा लागू होगी। According to the Rajasthan Civil Services (Absorption of Ex-servicemen) Rules 1988, relaxation in upper age limit shall be 10 years for state Services and 15 years for Subordinate Services to Ex-servicemen; Provided that in case of direct recruitment where experience is also essential on lower post then relaxation in age equal to the period of requisite experience of the lower post shall be given to the ex-servicemen in addition to the relaxation in age already provided under these rules; Provided that permissible age after relaxation under this rule work out to be more than 50 years then upper age limit of 50 years shall be applicable but in case of direct recruitment where experience of lower post is essential the maximum upper age limit of 55 years shall be applicable. s	
	स्पष्टीकरण :- कार्यक्रम (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 22.8.2019 के अनुसार राजस्वान विविल सेवा (भूतपूर्व सीनियरों का आमेलन) नियम, 1988 यातासंशोधित के प्रावक्षणों के होते हुए भी किसी सीधी से संबंधित सेवा नियमों में आयु संबंधी जो विविलता अन्य लोक सेवकों/अन्यविधियों को देय है, वह भूतपूर्व सीनियरों को भी देय होनी अवश्यक आयु संबंधी विविलता के तावं में दी जानी विविलकरण के द्वारा दिया जाएगा।	
14.	राजस्वान विविलगण अधिकार नियम, 2018 के अनुसार निशानाजन व्यक्तियों द्वारा लिया जाने के लिए क्रपर उल्लेखित उपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट देय होगी। According to the Rajasthan Rights of Persons with Disabilities Rules 2018, the upper age limit mentioned above shall be relaxed by 05 years for persons with benchmarks disabilities.	
<b>नोट -</b>		
1.	उपरोक्त वर्षोंत आयु सीमा में छूट के बिन्दु संख्या 01 से 13 तक के प्रावक्षण असंघवी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अन्यविधियों को उपरोक्त वर्षोंत किसी भी एक प्रावक्षण का अनुसार आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जाएगा। एक से अधिक प्रावक्षणों द्वारा छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा।	
2.	विशेषयोग्यजन को उपरी आयु सीमा में देय छूट के उपर्युक्त बिन्दु संख्या 01 से 13 तक के अनुसार छूट दिये जाने के पश्चात् बिन्दु संख्या 14 में उल्लेखित प्रावक्षण के अनुसार अतिरिक्त छूट देय होगी।	
3.	कार्यक्रम (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.7.2017 एवं पत्र दिनांक 14.9.2017 व 19.02.2021 के अनुसार लम्बवत् (Vertical) व हैरिज (Horizontal) आप्कान के अंतर्गत किसी श्रेणी के लिए आरक्षित पदों डॉक्टर यदि किसी अन्यवीक्षी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य विविलता (हैरिज- आयुसीमा, अंक, फिजिकल फिटनेस आदि) का लाभ लिया जाता है तो उसी सामान्य (अनारकीले) विविलतों के प्रति विवारित नहीं किया जाएगा।	
4.	राजस्वान सेवा नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी हेतु सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से नियारित है। इसलिए नियुक्ति दिनांक ताकि अन्यवीक्षी की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं जाहिए।	
5.	अन्य विविल व्यक्तियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावक्षण हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में अकिल किये गये हैं। किसी प्रकार ये विविल वाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में अकिल प्रावक्षण ही मान्य होंगे।	
<b>अन्य विवरण</b>		
चयन प्रक्रिया	अन्यविधियों का लाभन प्रतिवेशी परीक्षा एवं साझाकार के माध्यम से किया जायेगा। अप्रवान अवधारणा पढ़ने पर आयोग द्वारा उत्तरप्रसिद्ध के मूल्यांकन में स्कॉलिङ/मोडलेन्स/नॉर्मलाइजेशन (सामान्यीकरण) फलों की अप्रवान जारी करेगा। संबंधित सेवा नियम के नियम 17 के अनुसार आयोग द्वारा उपर्युक्त पाये गए अन्यविधियों के नाम लम्बवत् सावधान आयोग की वेबसाईट पर पृष्ठक से जारी किया जाएगा।	
परीक्षा का स्थान एवं माह	परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यातासंशय सूचित किया जायेगा।	
प्रावक्षण वार्षिक रूप से	प्रावक्षणिक परीक्षा वर्षानुग्रह रूप से (Online/Offline) ली जायेगी। प्रावक्षणिक परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुमिश्र प्रकार के होंगे। मूल्य वरीक्षा वर्षानुग्रह रूप से ही जारी की जायेगी। वर्षानुग्रह वार्षिक आयोग की वेबसाईट पर पृष्ठक से जारी किया जाएगा।	
आवेदन अवधि	दिनांक 19.09.2024 से दिनांक 18.10.2024 तक 12-00 बजे तक।	
आवेदन प्रक्रिया	1. उपरोक्त वर्ष डॉक्टर ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अन्यवीक्षी आयोग की वेबसाईट <a href="https://rpsc.rajasthan.gov.in">https://rpsc.rajasthan.gov.in</a> पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के सम्बन्ध में हिये गये विवाह-निर्देशों (Instructions for Applicants), विस्तृत विवारण एवं संबंधित सेवा नियम का अध्ययन अवश्यक रूप से यार लें। तदूपराना ही अन्यवीक्षी ऑनलाइन आवेदन करें। आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध अन्यविधियों के लिए विवाह-निर्देश (Instructions for Applicants) विवारण का ही भाग/हिस्ता नामा जाएगा। 2. ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अन्यविधियों को आयोग की वेबसाईट <a href="https://rpsc.rajasthan.gov.in">https://rpsc.rajasthan.gov.in</a> पर उपलब्ध Apply online link को Click कर अवधा एस.एस.ओ. (SSO) पोर्टल <a href="https://ssouser.rajasthan.gov.in">https://ssouser.rajasthan.gov.in</a> से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर One Time Registration (OTR) करना होगा। प्रथम बार One Time Registration (OTR) करने हेतु अन्यवीक्षी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सेक्षेन्सी/सम्बन्धी/परीक्षण एवं आवार कार्ड/पैन कार्ड/बोटर कार्ड/द्वाष्ट्रिंग लाइसेंस आदि। से से किसी एक आई.डी.प्रूफ के विवरणों का इन्हाज एवं डिक्स्यूमेंट्स अपलोड करने अनिवार्य होंगे। 3. जिन अन्यविधियों द्वारा पूर्व में OTR किया जा चुका है, वे अन्यवीक्षी एस.एस.ओ. पोर्टल <a href="https://ssouser.rajasthan.gov.in">https://ssouser.rajasthan.gov.in</a> से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर अपने OTR गंवर/संव्या के आधार पर ऑनलाइन आवेदन करें।	

4. अन्यथीं द्वारा One Time Registration करने के पश्चात् OTR Profile में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, ईकॉप्टरी/समकक्ष परीक्षा का विवरण एवं आधार कार्ड/पेन कार्ड/पोटर कार्ड/द्वाइविंग लाइसेंस आईडी। विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। अतः OTR करने से पूर्व आधार/जनाधार/SSO प्रोफाइल में अकिल विवरण का ईकॉप्टिक दस्तावेजों में अकिल प्रविष्टियों से साक्षात्तनीपूर्वक गिलान सुनिश्चित कर लें। यदि इसमें कोई अनार है तो जनाधार कार्ड/आधार कार्ड/SSO ID की प्रविष्टियों में आवश्यक संशोधन (Correction) करने के पश्चात् ही OTR परीक्षा व आवेदन पोर्टल भरने की कारबाही करें।
- Note: ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व अन्यथीं अपने आधार कार्ड में दर्ज प्रविष्टि यथा स्वयं का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि व लिंग को जीव/परवाने ले बिल्कुल One-Time Registration में सूचना स्वयं प्राप्त कर ली जाती है। यदि आधार कार्ड में लगी हुई फोटो 3 वर्ष या उससे अधिक पुरानी है तो ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आधार कार्ड में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि तथा फोटो को अपडेट कर ले ताकि सभी सूचना आवेदन पत्र में दर्ज हो सके तथा परीक्षा आयोजन के समय प्रवेश-पत्र में श्रिंख कोटी से गिलान आधार कार्ड में लगी हुई फोटो से किया जा सके।
5. अन्यथीं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अपनी लाइव फोटो अपलोड करें। अन्यथीं अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र Submit करने से पूर्व अपने Live फोटो का Preview देखकर फोटो की सुनिश्चितता करते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र को Submit करें।
6. अन्यथीं के द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय हस्ताक्षर एवं बीमा दाय की अंगूठा निहानी की स्कैन फोटो अपलोड करना अनिवार्य होगा। परीक्षा आयोजन के दौरान परीक्षा कक्ष में अभियानर की उपस्थिति में अन्यथीं के द्वारा उपस्थिति पत्र पर पृष्ठक से अंगूठा निहानी भी लगाई जायेगी।
7. अन्यथीं ऑनलाइन आवेदन अवधि के दौरान भी दिनांकित नवीन फोटो परीक्षा कन्द में उपस्थिति पत्रक पर दस्ता करने हेतु साथ लेकर आयें।
8. अन्यथीं को श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिये अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में श्रुतलेखक संबंधी दिक्कत का अनिवार्य रूप से चयन करना होगा। उक्त विकल्प का चयन नहीं किये जाने पर श्रुतलेखक की सुविधा देव नहीं होगी।
9. अन्यथीं आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्जित की जा रुकी सभी ईकॉप्टिक योग्यता/अनुभव का विवरण आवेदन पत्र में स्पष्टतः एवं आवश्यक तौर पर अकिल करें जबकि यदि ऐसी पूर्व में अर्जित ईकॉप्टिक योग्यता/अनुभव को आवेदन पत्र में अकिल नहीं किया गया है तो आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात् ऐसी योग्यता/अनुभव विचारनीय नहीं होगा। केवल आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात् अर्जित ईकॉप्टिक योग्यता/अनुभव ही बाद में विचारनीय होगी।
10. आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात् आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन-पत्र क्रमांक (Application No.) अकिल या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन-पत्र जन्म नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन Submit नहीं जाना जायेगा।
11. आवेदक जो ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो Recruitment Portal पर दिये गये Helpdesk Number या E-Mail पर सम्पर्क हों।
12. आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने हेतु पात्र है, उसी श्रेणी में ऑन-लाइन आवेदन करें। गलत सूचना देने/लघु छुपाने पर आयोग अन्यथीं पर नियमानुसार कारबाही के लिए स्वतंत्र होगा।
13. राजस्वान राज्य के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की श्रीमीलेखर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्वान राज्य से विन राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (Creamy Layer and Non-Creamy Layer)/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अवेदक स्थान वर्ग के अन्तर्गत आयें हैं। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा।
14. अन्यथीं ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के पश्चात् आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी जाएगा एवं किसी भी प्रकार का ऑफलाइन आवेदन-पत्र भरने के पश्चात् आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी नहीं होगी।
15. अन्यथीं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात् आवेदन पत्र की हेबसाईट पर Exam Dashboard को शब्दान्वयन निरस्तर अवलोकन करें जबकि अयोग की परीक्षाओं/मर्नी संबंधित समस्त सूचनाएं आयोग की बेबसाईट पर प्रदर्शित/अपलोड की जाती हैं। पृष्ठक से सूचना/पत्र जारी नहीं किया जाता है।
16. आयोग द्वारा अन्यथीं से उक्त प्रक्रियानुसार ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के अंतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का कोई ऑफलाइन पत्रकार रखी कारबाही नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार का ऑफलाइन पत्रकार रखी कारबाही नहीं किया जायेगा।

**ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना :-** ऑनलाइन आवेदन Submit किये जाने के पश्चात् यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अन्यथीं ऑनलाइन आवेदन में OTR Profile में दर्शाए गये स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग के अंतिरिक्त अन्य त्रुटि संशोधन नियमानुसार कर सकता है।

1. यदि कोई अन्यथीं अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात् 10 दिवस की भीतर नियारित शुल्क रापये 500/- जा ऑनलाइन नुगतान कर आवेदन पत्र में Online संशोधन (आयोग की बेबसाईट <https://rpse.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध दिशा-निर्देशानुसार) कर सकता है। इसके पश्चात् किसी प्रगाह का संशोधन/परिवर्तन न्यौकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अन्यथीं का ही होगा।

2. आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा आयोजन की तिथि से 60 दिवस पूर्व 07 दिन के लिए ऑनलाइन ऐडिट डेटु विकल्प सॉलो जायेगा जिसके अंतर्गत अन्यथीं के पोटो, नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि एवं लिंग के अंतिरिक्त अन्य संशोधन किये जा सकते हैं।

Note: विचिन्न विवाह/तसाकशुदा/परित्यागा नहिंता ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक न्यायालय के द्वारा परित्यागा विवाह (DV) डिक्टी जारी होने की स्थिति में ही यह परिवर्तन डेटु आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये अनलाइन संशोधन के अवसरों का उपयोग कर सकेंगे।

3. **One Time Registration (OTR) लागू** किये जाने के कारण ऑनलाइन आवेदन में अन्यथीं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग में किसी स्तर पर कोई संशोधन संभव नहीं होगा।

4. किसी भी प्रकार के संशोधन के पश्चात् अन्यथीं को एस.एम.एस. के माध्यम से सूचित किया जायेगा एवं किए गए संशोधन की पुष्टि ओटीपी के माध्यम से की जायेगी।

5. सभी प्रकार के अनुसूत संशोधन हेतु शुल्क 500/- रुपये निर्धारित है।

6. आयोग द्वारा परीक्षा आयोजन के पश्चात् किसी भी प्रकार का त्रुटि सुनार नहीं किया जायेगा।

7. आयोग द्वारा अन्यथीं से उक्त प्रक्रिया के अंतिरिक्त अन्य किसी भी तरह से कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा व उक्त संशोधन प्रक्रिया के संपर्कता कोई भी ऑफलाइन/ऑनलाइन परिवर्तन करने हेतु अन्यथीं को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

**एकारीय परीक्षण शुल्क :-** कारीकृत (के-२) विवाह के परिवर्तन दिनांक 19.04.2023 के द्वारा समस्त भारी परीक्षाओं में एकारीय परीक्षण शुल्क नियमित्वा किया जाता है जो नियमानुसार है:-

1. सामान्य (अनारक्षित)/पिछड़ा वर्ग के श्रीमीलेखर/अति पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की अन्यथीं - रुपये 600/-

2. आर्थिक वर्ग (जनसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग-नौन श्रीमीलेखर/अति पिछड़ा वर्ग-नौन श्रीमीलेखर/अर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग/सहारिया श्रेणी) के अन्यथीं -

रुपये 400/-

3. दिव्यांगजन - रुपये 400/-

**गोट :-**

1. राजस्वान राज्य से निन अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अन्यथीं को सामान्य वर्ग का अन्यथीं नामा जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अन्यथीं के अंतर्गत विवाह के अन्यथीं को अन्यथीं नामा जाएगा।

2. जिन अन्यथीं द्वारा पूर्व में बन टाईन रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है, वे अन्यथीं भी एसएसओ आईडी द्वारा लोग इन कर बन टाईम रजिस्ट्रेशन के ऑपान पर जाकर उपर्युक्तानुसार नियारित एकारीय परीक्षण शुल्क जाना करवायें।

**विशेष योग्यपान/दिव्यांगजन अन्यथीं को श्रुतलेखक/क्षतिपूरक समय उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में विशेष नियंत्रण:-**

1. अन्यथीं द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में विशेषयोग्यजन अन्यी भरे जाने तथा श्रुतलेखक संबंधी विकल्प का वयन किये जाने का अभिप्राय यह नहीं है कि वह श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिए वह पात्र/गोप्य है। श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिए अन्यथीं को आयोग द्वारा जारी निर्देशों की पालना किया जाना आवश्यक है अन्यथा अन्यथीं को श्रुतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी।

2. ऐसे विशेषयोग्यजन अन्यथीं जो राज्य का श्रुतलेखक का वयन-पत्र, अन्यथीं एवं श्रुतलेखक का परीक्षण की प्रगाह की प्रतिलिपि केन्द्राधीकारको प्रस्तुत करनी होगी।

3. ऐसे विशेषयोग्यजन अन्यथीं जो आयोग/केन्द्राधीकारक से श्रुतलेखक प्राप्त करना चाहते हैं, उन अन्यथीं भी आईडी द्वारा लोग इन कर बन टाईम रजिस्ट्रेशन के ऑपान पर जाकर उपर्युक्तानुसार नियारित एकारीय परीक्षण शुल्क जाना करवायें।

4. The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के Section-2(r) के तहत परिवर्तित विशेष योग्यजन (40 प्रतिशत से अधिक नियाकरण) की दृष्टिवान विवाह/तसाकशुदा-Both Arms) एवं सेरेब्रल पालसी श्रेणी वाले अन्यथीं द्वारा चाहने पर विशेषयोग्यता की विकिल्सा प्रगाह-पत्र, अन्यथीं एवं श्रुतलेखक का वयन-पत्र के अधिकारी/विकिल्सा अधीकारक से अनुमोदित प्रगाह-पत्र (आयोग की बेबसाईट पर उपलब्ध Appendix-C), विशेषयोग्यजन की विकिल्सा प्रगाह-पत्र एवं प्रस्तुत करने पर श्रुतलेखक की सुविधा देय होगी और/या श्रुतिपूरक समय प्रदान किया जायेगा।

5. The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के Section-2(s) के तहत परिवर्तित विशेष योग्यजन (40 प्रतिशत से कम नियाकरण) की श्रेणी के नममते में लेखन कार्य में असमर्थता के संबंध में मुच्य विकिल्सा अधीकारी/विकिल्सा से अनुमोदित प्रगाह-पत्र (आयोग की बेबसाईट Appendix-D) एवं विशेषयोग्यजन की विकिल्सा प्रगाह-पत्र प्रस्तुत करने पर श्रुतलेखक की सुविधा देय होगी और/या श्रुतिपूरक समय प्रदान किया जायेगा। ऐसे अन्यथीं को श्रुतलेखक की सुविधा

(1) **Scheme of examination:** The Combined Competitive Examination will be held in two successive stages-

- (i) Preliminary Examination, and (ii) Main Examination

(i) **Preliminary examination :** The Preliminary Examination will consist of one paper which will be of objective type and carry a maximum of 200 marks. The examination is meant to serve as a screening test only. The Standard of the paper will be that of a Bachelor's Degree Level. The marks obtained in the Preliminary Examination by the candidates, who are declared qualified for admission to Main Examination will not be counted for determining their final order of merit.

Subject	Maximum Marks	Time
General Knowledge & General Science	200	Three hours

(ii) **Main examination:**

(a) The number of candidates to be admitted to the Main Examination will be fifteen times the total approximate number of vacancies to be filled in the year through the examination but in the said range all those candidates who secure the same marks as may be fixed by the Commission for any lower range will be admitted to the Main Examination.

Provided that, if the Commission is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to reserved category are not available on the basis of general standard for appearing in the Main Examination, relaxed standard may be applied by the Commission for admitting candidates belonging to such reserved category so that sufficient number of candidates in that category are available to appear in the Main Examination.

For this purpose, the zone of consideration of 15 times the total approximate number of vacancies shall stand relaxed. However, candidates so additionally qualified for the main examination will be eligible for selection to the posts reserved for respective categories only.

**Note:** For the purpose of this clause "reserved category" means any such category for which reservation, either horizontal or vertical is applicable.

(aa) The Candidates appearing in the main examination shall be required to obtain minimum 10% marks in each paper and 15% marks in aggregate out of the total marks of all papers in the main examination to qualify for appearing in personality and viva voce examination.

**Provided:-** (1) That relaxation of 5% in such minimum marks shall be given to the candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes Categories.

(2) राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिक का आयोग) नियम, 1988 तथा राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 में विडित प्राक्षणानुसार भूतपूर्व सैनिकों एवं विडित योग्यजन को न्यूनतम उत्तीर्णों में प्रृष्ठ/रिक्षायत दी जायेगी।

(b) The written examination will consist of the following four papers which will be descriptive/analytical. A candidate must take all the paper listed below which will also consist of question paper of brief, medium, long answer and descriptive type questions. The standard of General Hindi and General English will be that of Sr. Secondary level. The time allowed for each paper shall be 3 hours.

	Papers	Maximum Marks
Paper I	General Studies-I	200
Paper II	General Studies-II	200
Paper III	General Studies-III	200
Paper IV	General Hindi and General English	200

(2) **Personality and viva-voce Examination(See rule 15):-**

(i) Candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written test of the Main Examination, as may be fixed by the Commission in their discretion subject to clause (aa) under sub-head (ii) Main Examination of head (1) Scheme of examination, shall be summoned by them for personality and viva voce examination which carries 100 marks.

(ii) The Commission shall award marks to each candidate interviewed by them. In interviewing the candidates besides awarding marks in respect of character, personality, address, physique, marks shall also be awarded for the candidate's knowledge of Rajasthan culture. However, for selection to the Rajasthan Police Service, candidates having 'C' Certificate of N.C.C. shall be given preference. The marks so awarded shall be added to the marks obtained in the written test by each such candidate.

(3) **General Instructions :**

(i) All papers shall be answered either in Hindi or in English, but no candidate shall be permitted to answer any one paper partly in Hindi and partly in English unless specifically allowed to do so.

(ii) If a candidate's handwriting is not easily legible, a deduction will be made on this account from the total marks otherwise accruing to him.

(iii) Credit will be given for orderly, effective and exact expression combined with due economy of words in all subjects of examination.

(4) **Syllabus and scope of the papers :-** The syllabus and scope of each paper for the examination will be as prescribed by the Commission from time to time and will be intimated to the candidates within the stipulated time in the manner as the Commission deems fit.

उक्त पद हेतु जायोगित की जाने वाली प्रारंभिक परीक्षा के लिए ओएमआर उत्तरपत्रक में प्रश्नों के विवरण नरने के संबंध में विस्तृत निर्देश:-

1. Each question has five options marked as 1, 2, 3, 4, 5. You have to darken only one circle (bubble) indicating the correct answer on the Answer Sheet using BLUE BALL POINT PEN.
2. It is mandatory to fill one option for each question.
3. If you are not attempting a question then you have to darken the circle '5'. If none of the five circles is darkened, one third (1/3) part of the marks of question shall be deducted.
4. After solving question paper, candidate must ascertain that he/she has darkened one of the circles (bubbles) for each of the questions. Extra time of 10 minutes beyond scheduled time, is provided for this.
5. A candidate who has not darkened any of the five circles in more than 10% questions shall be disqualified.

अंति महावर्षीय बिन्दु/नोट :-

1. अन्यथी Online Application Form में अपना यही नोबाईल नम्बर व ई-मेल आईडी दी अंकित कर जिस पर यह परीक्षा/साकात्कार इत्यादि संबंधी भावी सूचना SMS & E-Mail के माध्यम से भाष्टाता है। औनलाईन अपेक्षन में अंकित नोबाईल नम्बर व ई-मेल आईडी बदलने/बदल होने/नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएँ प्राप्त नहीं होने पर अन्यथी की रखय की जायेगी।
2. अन्यथी यथासम्मत नम्बर एवं पत्र व्यवहार के पाते में परिवर्तन नहीं करें, यदि परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो तो इसकी सूचना आयोग को दीप्त चेता।
3. आवेदक अपना औनलाईन अपेक्षन-पत्र व्याप्रपूर्वक भरें। आवेदक अपना औनलाईन अपेक्षन-पत्र अंतिम रूप से भरने से पूर्व उसकी समस्त प्रतिविटियों से आशकर्ता हो जें कि सभी प्रतिविटियां सही-सही भरी गई हैं। आवेदक द्वारा आपेक्षन में भरी गई प्रतिविटियों को ही सही नानकर आयोग द्वारा आगे की कार्यवाही की जायेगी।
4. अन्यथी आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा में अपेक्षन की अंतिम विनाक का इन्तजार किये बिना अपना औनलाईन अपेक्षन करें, अन्यथा किसी प्रकार की गोइ नेटवर्क समस्या के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होकर अन्यथी स्वयं जिम्मेदार होगा।
5. आवेदक द्वारा रखय वै-नित्र/अन्य किसी स्तोत से औनलाईन अपेक्षन-पत्र भरते/भरते समय किसी प्रकार की गोई गलत प्राप्ति/भूलपत्र त्रुटि ढो जाती है, तो इसकी सम्बूर्ध जिम्मेदारी रखय आवेदक की होगी। इसलिए आवेदक नवीनपूर्वक औनलाईन अपेक्षन-पत्र के Preview में अपनी जाति/दर्गा/श्रेणी, आयु (जन्म दिनांक), विषय, योग्यता इत्यादि संबंधी दर्ज प्रतिविटियों की जांच आवश्यक रूप से करने के पश्चात त्रुटि होने पर उसे सुनायते हुए औनलाईन अपेक्षन-पत्र को Submit करें और उसका फ्रिक्ट लेकर उसकी जांच आवश्यक करने से पुनः कर लें। अगर फ्रिक्ट भी गोई गलती/त्रुटि पाई जाती है, तो आयोग द्वारा औनलाईन अपेक्षन-पत्र में संशोधन की उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संशोधन आवश्यक रूप से कर लें। इसके पश्चात किसी प्रकार का कोई औनलाईन या औफलाईन संशोधन/परिवर्तन स्थीकार की जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्बूर्ध वापिल रखय अन्यथी का ही होगा। साथ ही आवेदक को यह भी हिदायत दी जाती है कि आवेदक अगर वै-नित्र अथवा अन्य स्तोत से अपेक्षन करताता है, तो आवेदक रखय वै-नित्र अथवा अन्य स्तोत के बहों न छोड़े कि उनके द्वारा आपका औनलाईन अपेक्षन-पत्र सही-सही भर दिया होगा/जायेगा। किसी भी प्रकार की गलत सूचना भर जाने पर आयोग अन्यथी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु स्पष्टता होगी।
6. यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से विन श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो इसे अधिकारों का परिवर्तन मानते हुये आवेदन पत्र में संशोधन की उपर्युक्त निर्धारित अवधि के पश्चात उसकी श्रेणी में सुधार की सुविधा/अनुसृति नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी में आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन-पत्र आयोग द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अनुसृति जाति/अनुसृति जन्मजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/अधिक रूप से करनजार वर्ग/उत्कृष्ट जिम्मेदारी/भूतपूर्व सैनिक/अनुशृति वंश/विषय/विशिष्ट विषय/तालाकशुदा/परिवर्तन/विकलांगता/याज्ञ कर्मचारी/गैर साजपत्रित कर्मचारी/मन्त्रालयिक कर्मचारी/जिम्मेदारी कर्मचारी/अन्य वर्ग के अन्यथी Online Application Form प्रस्तुत (Submit) करने समय अपने वर्ग का स्पष्ट रूप से उल्लेख कियारित वर्गमें करें अथवा Online Application Form प्राप्ति की अनियम दिनांक पश्चात/संशोधन करने की अवधि समाप्त होने के बाद वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा और ऐसे अन्यविद्यों को जो कि उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाभ विशेषपूर्वक वर्गों हेतु देय नहीं होकर आवेदक द्वारा जिस श्रेणी/वर्ग में औनलाईन अपेक्षन-पत्र भरा है उसके

- सरकारी यार्ग/ क्षेत्री से संबंधित प्रमाण-पत्र/ दस्तावेज़ (ऑनलाइन आवेदन की अनिम तिथि से पूर्व का/ तक का बना होना चाहिए) यथा समय प्रस्तुत नहीं करने पर आवेदक/ अभ्यर्थी का ऑफलाईन आवेदन-पत्र निरस्त/ रद्द/ प्राप्तवा रद्द वार दी जायेगी/ जायेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

अनिम (Provisional) रूप से संबंधित भर्ती परीक्षा/ साक्षात्कार में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा के लिये प्रवेश-पत्र जारी करने का यह अभिप्राय नहीं है कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अनिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लिखित प्रविधियाँ आयोग द्वारा सही मान ली गई हैं। आयोग/ विषय साइ उपसत्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वयंभागित कोटी प्रतियों एवं परीक्षा हेतु जारी है-प्रवेश पत्र की प्रति भी अपलोड करनी होगी। आयोग द्वारा उम्मीदवार की पात्रता वार्ता/ अधिक रूप से कमज़ोर वर्ग/ उत्कृष्ट विद्यार्थी/ भूतपूर्व सैनिक/ अनुच्छेदित क्षेत्र/ विषय/ विकल्पन विवाह/ तलाकशुदा/ परिवर्त्यका/ विवाहगता/ राज्य कर्मचारी/ गैर उपसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

भर्ती परीक्षा में उत्तरार्थ रूप से सफल घोषित होने के उपरान्त आयोग द्वारा अभ्यर्थी को ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र ऐसे जाने हेतु नियारित समझायिते के लिए लिंक सुलेट जायेगा। नियारित समझायिते के उपरान्त यह लिंक स्वतः ही निश्चिय हो जायेगा। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का ऑनलाइन/ ऑफलाईन विस्तृत आवेदन पत्र गानवीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा D.B.Special Appeal Writ No. 1631/2017 आरपीएससी बनान प्रियका जीन व अन्य के प्रकरण में पारित निर्णय दिलाक 01. 11.2017 के अनुसार ऑनलाइन आवेदन-पत्र प्राप्ति की अनिम दिनांक के पश्चात पुनर्विवाह कर लिया जाता है तो भी उसे विवाह/ विविच्छन/ तलाकशुदा वर्ग में आवेदित महिला द्वारा आवेदन पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने एवं त्रुटी सुनार संशोधन के पश्चात कोई अभ्यर्थी आकर्तिमुख रूप से दियांग/ विषय हो जाता/ जाती है तो उसे लिखित परीक्षा/ साक्षीका - दानन कर्ता, बच्चे का जन्म प्रणाल पत्र, मादाता पाल्यान पत्र, आधार कार्ड, पति के नाम से भूल निवास प्रणाल पत्र इत्यादि तथा दियांग हेतु निःशक्ता प्रमाण-पत्र, लिंक दस्तावेज़ [यह मय 500/- रुपये का ऑनलाइन शुल्क भुगतान कर उसकी प्राप्ति रसीद प्रस्तुत करने पर ही परिवर्तन शीघ्रान्वय होगा। किसी परीक्षा के एक से अधिक चरण होने पर प्रथम चरण की परीक्षा उपरान्त अभ्यर्थी विवाह/ विवर्ण होता है तो वर्ग परिवर्तन का लाभ आने वाले परिणाम में ही देय होगा, परन्तु पूर्व के परिणाम को इस आधार पर विविच्छन विवाह/ तलाकशुदा/ परिवर्त्यका महिला अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अनिम दिनांक तक सकान न्यायालय द्वारा पारित न्यायालय की हिती (गमनीय राजस्वान उच्च न्यायालय, जयपुर में DBSA No. 72/2022 के निर्णयानुसार) प्रस्तुत करने पर ही आक्षय का लाभ प्रदान किया जाएगा। किसी अनिम दिनांक तक पारित नहीं हुई है, तो परिवर्त्यका/ विवाह विविच्छन/ तलाकशुदा श्रेणी/ वर्ग का लाभ देय नहीं होगा।

विविच्छन विवाह/ तलाकशुदा/ परिवर्त्यका महिला को ऑनलाइन आवेदन की अनिम दिनांक तक सकान न्यायालय द्वारा पारित न्यायालय की हिती परिवर्त्यका/ तलाकशुदा/ विवाह विविच्छन आवेदक का तलाक सम्बन्धी प्रकरण/ जाव गानवीय न्यायालय में विवाहाधीन/ लम्भित है एवं जिसी ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति के अधिक उच्च विवाह/ विवाह विविच्छन/ तलाकशुदा श्रेणी/ वर्ग का लाभ देय नहीं होगा।

विविच्छन विवाह/ तलाकशुदा/ परिवर्त्यका श्रेणी की महिला को ऑनलाइन आवेदन की अनिम दिनांक तक एवं विवाह महिला को आवेदन की अनिम हिति तक अध्यक्ष किया के द्वारा वर्ग/ क्षेत्री संशोधन करने पर उसे वर्ग/ क्षेत्री संशोधन की विनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी शापथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

आवेदक उक्त पद हेतु तभी आवेदन करें जब वह उक्त पद हेतु विज्ञापन में निश्चिय निवन व उच्च आयु रीमिट के अन्तर्गत वांछित शीघ्रान्वय योग्यता एवं अनुमत सम्पूर्ण मानवधृ/ मानवपृष्ठ पूर्ण करता हो। साथ ही इन विज्ञापन में ही गई उक्त वांछित शीघ्रान्वय योग्यता एवं अनुमत के अधिकार द्वारा स्वीकरत नहीं किया जायेगा। आवेदक के पास विज्ञापन में उल्लिखित अनुसार शीक्षणिक/ प्रशिक्षणिक योग्यता एवं अनुमत को जायेगा अन्यथा अपार्न बाना जायेगा।

आवेदक को इस विज्ञापन में ही गई आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कोई निमन्तम आयु एवं अधिकार अनुसार संकीर्ण छूट नहीं दी जायेगी।

परीक्षार्थियों को है-प्रवेश-पत्र पर उल्लिखित विस्तृत विवाह-निर्देशों की पालना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।

परीक्षा के दोनों प्रवन पत्र/ औ.एम.आर. पत्रक (उत्तर पुस्तिका) में अविवाह विशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा दिया जाना आवश्यक होगा। परीक्षार्थी द्वारा दिया-निर्देशों के अनुसार कार्यालयी नहीं किये जाने पर प्रवन पत्र/ औ.एम.आर. पत्रक ने किसी प्रकार की गलती/ त्रुटी करने के लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

प्रश्न-पत्र में त्रुटी होने अथवा एक से अधिक उत्तर गलत/ सही होने अथवा उत्तर कुंजी में गलती/ त्रुटी अथवा प्रश्नोत्तर के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाह की स्थिति में आयोग के विशेष विशेषज्ञों के एनल द्वारा दैवत की गई अनिम उत्तर कुंजी के आधार पर जारी परिणाम को मानने का आयोग को स्वाक्षिकार होगा, जो सभी अभ्यर्थियों को स्वीकार्य होगा। उसमें किसी प्रकार का कोई बाव-विवाह स्थीकार्य नहीं होगा।

परीक्षार्थी द्वारा केंद्राधीकार/ अधिकारी/ आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी या कार्यालयी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन नहीं करने/ परीक्षा जेन्डर पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/ उपयोग करने पर परीक्षार्थी के विस्तृत आयोग/ केंद्राधीकार जो भी उपरित समझे समस्त कार्यालयी नियमानुसार कार्यालयी की जायेगी।

यदि किसी अभ्यर्थी/ परीक्षार्थी को आयोग/ संघ लोक सेवा आयोग/ अन्य भर्ती एवेंसियों की किसी भी भर्ती/ परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग/ उपयोग या सामिलित होने की अनुचित प्रवान होनी की जायेगी।

राज्य कर्मचारी को देय लाभ यथा आयुसीमा में छूट, आधार इन्यावि केवल जास्तान राज्य के कर्मचारियों को ही प्राप्त है। अन्य राज्य के कर्मचारी या केन्द्र सेवा के कर्मचारी उसमान् अभ्यर्थी ही माने जायेंगे, उन्हें उनके लाभ नहीं दिया जायेगा।

### **प्रमाण—पत्रों का सत्यापन :-**

आवश्यक की गर्ता विशेष (अनुसूचित जाति) / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग / उच्चाष्ट जिलाई / भूतपूर्व सैनिक / अनुसूचित हैं / विधवा / विछिन्न विवाह / दालाकरुदा / परिवर्षकाल / विकलांगता / राजव वर्मायारी / गैर राजपृथिव वर्मायारी / मंत्रालयिक वर्मायारी / विभागीय वर्मायारी / अन्य) का लाभ तब होता है दैय होगा जबकि परीक्षा / नुस्ख परीक्षा / संवीक्षण परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित होने पर यह मूल दस्तावेजों से उनकी पात्रता की जाँच कर ली गई हो ताका दस्तावेज सही पाये गए हैं। अतः पात्रता की जाँच हेतु निम्नलिखित दस्तावेज प्रत्यक्ष करना सनिकृत कर दिया जावे—

- कार्यरिक (क-२) विभाग के प्रशिक्षण दिनांक 20.01.2022 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक लघु से कमजोर वर्ग के अधिकारीयों को अवैदेन का लाभ लेने हेतु जाति प्रमाण—पत्र औंगलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होना परन्तु यदि किसी कारणों से तो ऐसे अवैदेन को इस आशय का कापड़—पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तथा अंतिम तिथि के पश्चात् जारी किया तुमा प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे अवैदेन को इस आशय का कापड़—पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह आवेदन की अंतिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता स्वत्ता था तथा यह सूचना गलत पाये जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
  - पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण—पत्र में निवास स्थान एवं ग्रीनीलेवर/नौन ग्रीनीलेवर की प्रविधियाँ सही—सही एवं पूर्ण भरी नहीं हैं। पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को आवेदक की आवाहन के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विवाहित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो। अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग विवाहित प्रालय में निवासनुसार जारी जाति प्रमाण—पत्र विस्तृत आवेदन—पत्र के सभी प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम, निवास स्थान व आवाहन के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
  - राजस्वान राज्य के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के ग्रीनीलेवर के अधिकारीयों को आवैदेन का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अधिकारीयों को Online Application Form में राजस्वान वर्ग के आवेदक के रूप में आवेदन करना होगा।
  - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र स्वाम प्राधिकारी द्वारा विवाहित प्रपत्र पर जारी किया हुआ होना चाहिए हाथा अनुसूचित वर्ग का प्रमाण—पत्र वार्तिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 के अनुसार उग्रा अविसूचना जारी होने के पश्चात् का एवं औंगलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का जारी किया हुआ होना चाहिए।
  - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला आवेदक को आवैदेन प्रदर्शन का लाभ प्राप्त करने हेतु उपने पिता के नाम व निवास स्थान के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विवाहित प्रालय में निवासनुसार जारी जाति प्रमाण—पत्र विस्तृत आवेदन—पत्र की सभी प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम व निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
  - आर्थिक रूप से कर्मजोग वर्ग का प्रमाण—पत्र (Income & Assets Certificate) अवैदेन एवं उसके पिता के नाम को बताते हुए निवासनुसार परिसरिक आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विवाहित प्रालय में जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा, जो राजस्वान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
  - वीक्षणी/प्रशिक्षणीक योग्यता/अनुभव आवेदन की अंतिम दिनांक/परीक्षा विनामि/साक्षात्कार दिनांक तक (जो भी विज्ञापन में उल्लिखित हो) अर्जित होना आवश्यक है तथा योग सभी प्रमाण पत्र जैसे— श्रेणी/वर्ग/जाति/अनुसूचित वर्ग श्रेणी (स्वाम प्राधिकारी द्वारा निवासनुसार विवाहित प्रपत्र में प्रमाण—पत्र), आयु (आयु की गणना हेतु सैकड़ही परीक्षा प्रमाण—पत्र), उत्तर्वक्ष विज्ञापनी (आयोग की वैक्साइड पर उपलब्ध विज्ञापन—निर्देशनानुसार प्रमाण—पत्र), विकलांगता (सम्पूर्ण भारत वर्ग के लिए भी साज्व के राजपत्रित कर्मचारी, नेत्रालयिक कर्मचारी, विनाशीय कर्मचारी इत्यादि निवासनुसार जारी होना आवश्यक है। विवाह श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला आवेदक के पास पति का मृत्यु प्रमाण—पत्र एवं पति के नाम से लिंग प्रमाण पत्र (थाना—साक्षन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पति के नाम से मूल निवास परिवर्कता/तलाकशुदा/विवाह विविच्छन श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला आवेदक को पास माननीय व्यायालय द्वारा पारित तलाक सम्बन्धी दिक्षी (माननीय राजस्वान विविच्छन/तलाकशुदा श्रेणी/वर्ग का लाभ देय नहीं होगा)। इसी प्रकार उत्तर्वक्ष विवाह विविच्छन श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला आवेदक को पास माननीय व्यायालय द्वारा पारित तलाक सम्बन्धी दिक्षी (माननीय राजस्वान विविच्छन/तलाकशुदा श्रेणी/वर्ग का लाभ देय नहीं होगा)।
  - मूलपूर्ण शैक्षिक के संबंध में प्राक्कान—वार्तारिक (क-२) विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.12.2020 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपनी पंखन अर्जित करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया/गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर—भीतर सेवानिवृत्त हो रहा/रही है पर उसने स्वाम प्राधिकारी से निश्चालोप प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, पद के लिए आवेदन

नियामा प्रभाव पत्र द्वारा दीर्घी संशोधन की दिनांक तक प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा नियमा शेषी/वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। इसी प्रकार चरित्रकाल/तालाकर्णिया/विवाह विविधन शेषी में आवेदन करने वाली महिला आवेदक के पास माननीय जातीयता परिवर्त तालाक समझनी डिक्टी (माननीय जातीयता परिवर्त व्यापक योग्यपुरुष में DBSA No. 72/2022 के नियमानुसार) और नाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त होना आवश्यक है, अन्यथा चरित्रकाल/विवाह विविधन/तालाकर्णिया शेषी/वर्ग का लाभ देय नहीं होगा।

8. भूतपूर्व सीनिक के संबंध में प्रावधान – कार्यिक (के-2) विधान की अधिसूचना विनाक 22.12.2020 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपनी पैदान अधिकारी के प्रवाह सेवानिवृत्त हो गया / गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर-भीतर सेवानिवृत्त हो रहा / रही है पर उसने इसमें प्राविकारी से नियुक्त प्राविकारी के सम्बन्ध सेवानिवृत्त का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सीनिक विशेषज्ञ प्रमाण पत्र (N.O.C.) के अधार पर आवेदन करता / करती है और वह सम्बन्धी सेवानिवृत्त के दो माह की डिली कालावधि तो भीतर-भीतर पद प्रवाह करने के लिए अनुमति दिया जायेगा।

9. कार्यिक (के-4/2) विधान के पत्र विनाक 19.07.2021 के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवाह पर आवेदन किये जाने के प्रवाह सेवानिवृत्त के प्रमाण का प्रस्तुतिकरण के लिए ०१ वर्ष की अवधि की नियन आवेदन पत्र की अधिक विधि से की जायेगी। साथ ही यदि डिली भूतपूर्व सीनिक ने सावधान का लाभ लेने के प्रवाह सावधान सहकार के अधीन कियी पद पर एक बार सेवा प्रवाह कर ली है तो राजस्वान सरकार के अधिक मुनाफ़ीजन के द्वारा दिया जायेगा। परन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहाँ डिली भी पद के लिए डिली नियोजन पद का अनुमति अनिवार्य है, भूतपूर्व सीनिक को कंवल इस कारण से कि कि वह, सरकारी कंवल में डिली नियोजन पद विधान का अनुमति प्रवाह पर चर्ची नहीं की तिए अपेक्षित है, परन्तु यह भी कि वहि के अधिक संघीय भूतपूर्व सीनिक सरकार के अधीन डिली नियोजन का गठन करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिए आवेदन करता है और सबवित नियोजक को, राजस्वान सरकार के अधीन प्राविक पद प्रवाह करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिए उसने आवेदन किया है, के लिए आवेदन की तारीख-दार व्यक्ति ने वो में कोई इकाई सावधान सरकार के अधीन नियोजक / संविदा / अस्थायी / हावथ आवाह पर मुनाफ़ीजित किया जायेगा। परन्तु यह और भी कि भूतपूर्व सीनिक जिसे राजस्वान सरकार के अधीन नियोजक / संविदा / अस्थायी / हावथ आवाह पर मुनाफ़ीजित किया जाया है को भूतपूर्व सीनिक प्रवर्ती के चाहवदे से विवरित नहीं किया जायेगा।

10. कार्यिक (के-2) विधान की अधिसूचना विनाक 01.08.2021 के अनुसार राजस्वान विधिल सेवाएँ (भूतपूर्व सीनिकों का आवेदन) विधान, 1988 के अधिकारी भूतपूर्व सीनिकों वाले द्वारा जान राजस्वान सम्बन्ध के भूतपूर्व सीनिकों को की देख है।

11. राजस्वान की परिवर्त विनाक पत्र(19)गठ-13/ 2006 दिनाक 22.05.2006 के अनुसार इस परिवर्त के जारी होने की दिनाक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पत्नीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्त्वमध्यस्ती विवाह प्रमाण-पत्र यथा समय इसका काफ़ी बाहरीय होगा।

12. ऐसा कोई भी अधिकारी, विसके 01.08.2002 को वा उसके पश्चात वा उसे अधिक बच्चे/सन्तान हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पांच नहीं होगा, परन्तु वो से अधिक बच्चे/सन्तानों वाले किसी भी आवेदक जो नियुक्ति के लिए तब तक नियोही नहीं समझा जायेगा, जब तक कि १ जुलाई 2002 को विधान उसके बच्चों/सन्तानों की सल्ला में बढ़ाती होनी होती, परन्तु यह और कि जहाँ किसी आवेदक जो पूर्णतः प्रवाह तो कीवत एक बच्चा/सन्तान हो, किन्तु किसी एक पश्चात्वती प्रसव से एक से अधिक बच्चे/सन्तानों के दोहरा होती है, वही बच्चों/सन्तानों की गुण सल्ला जी गणना करते समय हत्ता प्रावाह पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा। परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की सन्तानों की कल जल्दी जी गणना करते समय ऐसी सन्तान की, जो पूर्णतः प्रवाह से पैदा हुई हो और नियोजक दो, गणना नहीं की जाएगी। परन्तु यह भी कि ऐसा कोई अधिकारी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विशद्य नहीं है और यह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उपनियाम के अधीन नियुक्ति के लिए नियोहित नहीं है तो उसे नियोहित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उपनियाम के अधीन नियुक्ति के लिए नियोहित नहीं है। परन्तु यह कि इस विधान के तत्त्ववधि किसी किस्या एवं विविधन विवाह/तलाकमध्या/परिवर्तकान्त्रीयी की नियुक्ति पर जागू नहीं होगा। तत्त्वमध्यस्ती बाहर-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना बाहरीय होगा।

13. आवेदक जो जानिम ईकाईक बाहर का घरित प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

14. आवेदक को जानने उपरान्त आवश्यक बाहिल ईकाईक बाहरीया का अनुमति प्रमाण-पत्र यथा समय नियुक्ति प्राविकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें आवेदक के खिलाफ ऐसी किसी आपशायिक बाहरीया का उल्लेख नहीं होना चाहिये जिसमें राज्य सेवा में नियुक्ति में बाहरीया समझा उत्पन्न हो। साथ ही किसी आपशायिक प्रकरण में बाहिल होने सा प्रकरण/बाहर न्यायिक काप से विद्यार्थीने पर नियुक्ति हेतु जनाया होगा।

15. आवेदक को जानने उपरान्त संस्थान प्राविकारी द्वारा जारी विकल्पन जीवन सम्बन्धी विकल्प प्रमाण-पत्र यथा समय नियुक्ति प्राविकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, कि आवेदक पूर्णतः से स्वत्व है एवं राज्य सेवा के लिए पूर्णतः स्वत्वत है।

16. आवेदक जो पहले से ही सरकारी सेवा यथा केन्द्रीय/राज्य/सरकारी उपक्रमों में नियुक्त है एवं उनका शयन उत्त पर्दी हेतु भर्ती में हो गया है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

17. अपनी युवा प्रजाता से संबंध में नियुक्ति सेवा विधान के अनुसार आवेदन का नियंत्र अतिम होगा।

आपेक्षा—पत्र में गलत/उटिपल साधन/अपूर्ण प्रावेदन—पत्र नहीं भरने के समक्ष में विशेष निर्देश :-

अध्यक्षी अनिलाहुन आवेदन—पत्र मरणे से पूर्व एकवारीय पंक्तीयन मूलक, आवेदन प्रक्रिया, प्राप्ति पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य छिन्न व सूचना के लिए परीक्षार्थियों हेतु आयोग हासा आयोग की उपसंहाइट पर जारी नवीनतम एवं संशोधित आवेदन—पत्र व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश तथा साम्बंधित सेवा नियमों का अद्यायान आवेदन कर रखे तभी हुए आवेदन—पत्र मरणे पर आवेदक का आवेदन—पत्र रद्द कर दिया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी रखने आवेदक की हीनी तथा गलत / त्रुटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन—पत्र के साथ देख रखिया/अनिलाहुन प्राप्ती—पत्र/अनिलाहुन प्राप्ती—पत्र/पत्र—ज्ञवाहार हात्यादि स्थितियाँ नहीं किया जायेगा। चूंकि आयोग द्वारा अन्यथी की पापता की जांच सम्भविता नहीं परीक्षा के परिणाम अस्वीकृत रूप से चयनित अन्यथार्थी हासा प्रस्तुत फिलहाल आवेदन—पत्र के माध्यम से पूर्ण किये गये औनिलाहुन आवेदन—पत्र में भरी गई सूचना के आधार पर की जाती है। इसलिए औनिलाहुन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को सही मानती हुए भरी परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जायेगा। अगले अध्यक्षी हासा औनिलाहुन आवेदन—पत्र में गलत / त्रुटिपूर्ण सूचना अस्वीकृत सूचना बताई है, तो अध्यक्षी या सम्पन्न रद्द करने का अधिकार आयोग का हीना व इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की हीनी जिसके सम्बन्ध में अन्यथी को कही करनी अधिकार नहीं होता।

ફાઈલ નંબર :-

यहाँ पह तुलसेशनीय है कि आयोग द्वारा उक्त विज्ञापन में विझोरित पद हेतु समस्त विधियों उक्तानुसार स्पष्ट की जा चुकी है अगर फिर भी आवेदक/इ-मिश्र/अन्य स्वामित्र द्वारा किये गये ऑनलाइन आवेदन-पत्र में किसी प्रकार की सोई गलती/त्रुटि/लौप/अपूर्ण सूचना रह जाती है एवं उपर्युक्त विधियों अनुसार अन्यथी द्वारा लीनलाइन आवेदन-पत्र ने आवेदक वाहित संभवित नहीं किया जाता है या विज्ञापन जो अनुसार पूर्ण वात्ता नहीं रखता है इसके लिए कारण आवेदक का ऑनलाइन/विस्तृत आवेदन-पत्र आयोग द्वारा खारिज/विसर्त कर दिया जाता है तो इस सम्बन्ध में किसी प्रार्थना-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा और अन्यथी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होता।

अन्य बिन्दु व सूचना - एकाकीकरण परीक्षण हूल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए आगोग जी गेस्टसाइट पर उपलब्ध नहीं हैं। एवं संशोधित परीक्षार्थी हैं। आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश तथा सम्बन्धित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से कर ले। इसके अतिरिक्त हाल परीक्षा की संख्या में भाग्य-हानि पर जारी सूचनाओं का अपलोडन आगोग जी वेबसाइट <https://rpsc.rajasthan.gov.in> पर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हैं। राजस्थान लोक सेवा आगोग अजमेर जी भवित्व में विशेष रूपान्तर करने पर अस्तित्व रूप से अध्ययन दूरसंचार सं-0146-2636212 एवं 2636200 पर लाम्हक हिया जा सकता है। लाम्हत पर व्याहार संस्थित साजस्थान लोक सेवा आगोग अजमेर को साझेदारित किया जाए।

२९७२  
(सामनिवास मंहता)  
प्राचिन

## राज्य सेवा के पदों का वर्गीकरण

क्र.सं.	सेवा का नाम	No. of Posts	GEN. (UR)					SC					ST					OBC					MBC					EWS					P.H.				
			GEN.	GEN. WE	WD	DV	Ex. Ser.	GEN.	GEN. WE	WD	DV	Ex. Ser.	GEN.	GEN. WE	WD	DV	Ex. Ser.	GEN.	GEN. WE	WD	DV	Ex. Ser.	GEN.	GEN. WE	WD	DV	Ex. Ser.	GEN.	GEN. WE	WD	DV	Ex. Ser.	(a) I.D., M.I., S.L.D., Auton. & (b) M.Ds.	LDCP & Others	NGE		
1	राजस्थान प्रदलालिक सेवा	28	13	04	01	01	01	01	01	0	0	0	0	0	0	0	0	03	01	0	0	0	03	01	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0	02		
2	राजस्थान पुलिस सेवा	50	10	04	01	0	0	05	01	01	0	0	05	02	01	0	0	08	03	01	0	01	02	01	0	0	0	03	02	0	0	0	0	0	04		
3	राजस्थान लैला सेवा	109	39	11	04	01	03	06	01	01	01	0	03	01	01	0	01	19	06	03	0	01	01	0	0	0	0	07	03	01	0	01	01	02 (IB)	01	02 (IB)	07
4	राजस्थान लहानी सेवा	12	01	0	0	0	0	01	01	0	0	0	02	01	0	0	0	03	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	07	03	01	0	01	01	01		
5	राजस्थान गिरोहिन सेवा	03	01	0	0	0	0	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0	0	0	0	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	राजस्थान कालामार सेवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	राजस्थान लालन सेवा	02	0	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	राजस्थान राज बीम सेवा	03	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	राजस्थान वर्णियिक वाल सेवा	59	14	03	02	01	01	06	01	01	0	01	07	03	0	0	0	08	03	01	0	01	02	01	0	0	0	05	01	0	0	0	1	1	1		
10	राजस्थान राज एवं नागरिक राज सेवा	07	01	01	0	0	0	01	0	0	0	0	01	0	0	0	0	01	0	0	0	01	0	0	0	0	01	0	0	0	0	0	0	04			
11	राजस्थान चर्चटन सेवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12	राजस्थान परिवहन सेवा	02	01	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	राजस्थान कोशिक वाल विकास सेवाएँ	13	02	01	0	0	0	03	0	01	0	0	01	0	0	0	0	02	0	01	0	0	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	राजस्थान देवस्थान सेवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01			
15	राजस्थान इमारी विकास सेवा	40	12	04	01	01	0	02	01	0	0	0	02	01	0	0	0	06	02	01	0	0	01	01	0	0	0	01	0	0	0	0	0	0			
16	राजस्थान वहित विकास सेवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01	01	0	0	0	04	01	0	0	0	01	03			
17	राजस्थान राज सल्लाह सेवा	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0	0	0	0	0	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
18	राजस्थान अधिकारी (General Branch) सेवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
19	राजस्थान अधिकारी (Preventive Force) सेवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20	राजस्थान अधिकारी (Distt. Minority Welfare Officer)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21	राजस्थान राज कृषि विभाग सेवा (विभाग अधिकारी)	16	03	01	0	0	0	02	01	0	0	0	02	0	0	0	0	03	0	01	0	0	01	01	0	0	0	01	01	01	0	0	01	01			
	गोप	346	99	31	9	4	5	28	7	4	1	1	23	8	3	0	1	54	17	8	0	3	10	4	0	0	0	25	10	1	0	1	4	5 (IB)			


2009/2024

अधीनस्थ सेवा के पदों का वर्गवार वर्गीकरण

क्र.सं.	सेवा का नाम	No. of Posts	GEN (UR)				SC				ST				OBC				MBC				EWS				P.H.											
			GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	WD	DV	Ex. Ser.	GEN.	GEN. WE	WD	DV	Ex. Ser.	GEN.	GEN. WE	WD	DV	Ex. Ser.	GEN.	GEN. WE	WD	DV	Ex. Ser.	GEN.	GEN. WE	WD	DV	Ex. Ser.	H.L.	Ld.CP & Others	(o) LD, M.I., S.L.D., Autism & (b) MnLDs,	SP	DC			
1	राजस्थान देवस्थान अधीनस्थ सेवा (NSA)	11	05	01	0	0	0	0	0	01	0	0	0	0	0	01	0	0	0	0	01	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0	0	0	0	01			
2	राजस्थान देवस्थान अधीनस्थ सेवा (SA)	02	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	राजस्थान सहायता अधीनस्थ सेवा (NSA)	41	07	01	01	0	02	04	01	0	0	01	03	0	0	0	0	0	13	03	02	0	02	01	01	0	0	0	03	01	01	01	01	02 (B)	01	02 (B)	0	05
4	राजस्थान महाकालिता अधीनस्थ सेवा (SA)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	02	(IB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	राजस्थान लग्जरीलाइटर सेवा (NSA)	166	45	13	05	01	08	17	03	02	01	03	11	03	02	0	02	26	08	03	01	05	07	02	0	0	01	12	02	02	0	02	01	02	01	0	0	0
6	राजस्थान लग्जरीलाइटर सेवा (SA)	12	04	01	0	0	0	0	0	0	0	0	05	02	0	0	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	राजस्थान आवासायी अधीनस्थ सेवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	राजस्थान नियोजित अधीनस्थ सेवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	राजस्थान नवायी अधीनस्थ सेवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	राजस्थान वार्षिकियक वर अधीनस्थ सेवा (NSA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	राजस्थान वार्षिकियक वर अधीनस्थ सेवा (SA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	राजस्थान चाला एवं नायाक रहाई अधीनस्थ सेवा (NSA)	17	05	01	01	0	01	02	0	0	0	0	01	01	0	0	0	02	0	01	0	0	01	0	0	0	01	01	0	0	0	01	01 (B)	0	01 (B)	0	02	
13	राजस्थान चाला एवं नायाक रहाई अधीनस्थ सेवा (SA)	01	0	0	0	0	0	0	01	(B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	राजस्थान स्टेपिल बाल विकास अधीनस्थ सेवा (NSA)	04	02	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	राजस्थान स्टेपिल बाल विकास अधीनस्थ सेवा (SA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	राजस्थान न्याय एवं अधिकारिता सेवा (परिवीक्षा एवं कारायुक्त काल्पना अधिकारी) (NSA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	राजस्थान न्याय एवं अधिकारिता सेवा (परिवीक्षा एवं कारायुक्त काल्पना अधिकारी) (SA)	01	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	राजस्थान न्याय एवं अधिकारिता अधीनस्थ सेवा (सामाजिक युवा काल्पना अधिकारी) (NSA)	42	17	5	01	0	02	01	0	0	0	0	08	02	01	0	01	0	0	0	0	03	0	0	0	0	0	03	01	0	0	0	01	01	0	0	0	0
19	राजस्थान न्याय एवं अधिकारिता अधीनस्थ सेवा (सामाजिक युवा काल्पना अधिकारी) (SA)	08	04	01	0	0	0	0	0	0	0	0	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	राजस्थान न्याय एवं अधिकारिता अधीनस्थ सेवा (परिवीक्षा एवं काल्पना अधिकारी) (NSA)	14	04	0	01	0	0	02	01	0	0	0	0	0	0	0	0	02	01	01	0	0	0	0	0	0	02	0	0	0	0	0	01	01	0	0	0	0
21	राजस्थान न्याय एवं अधिकारिता अधीनस्थ सेवा (परिवीक्षा एवं काल्पना अधिकारी) (SA)	03	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

29/12/2024

22	राजस्वान अथवा अधीनस्थ सेवा (NSA)	08	03	01	0	0	01	0	0	0	0	0	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01	01	0	0	0	0								
23	राजस्वान अथवा अधीनस्थ सेवा (SA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01(B)	01(B)	0	0	0	01								
24	राजस्वान अधीनस्थक मनसाता अधीनस्थ सेवा (Programme Officer)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
25	राजस्वान अधीनस्थ सेवा "राज्य कृषि विभाग विभाग अनुभाव" (अनिवार्य विभाग अधिकारी)	55	12	04	01	0	02	07	02	01	0	01	04	01	01	0	1	10	02	02	02	01	0	0	0	03	01	01	01	01	06							
	योग (NSA)	358	100	27	10	1	16	34	07	3	1	5	29	7	4	0	4	58	14	9	1	9	15	4	0	0	1	25	6	3	0	4	6 (3B)					
	योग (SA)	29	13	2	0	0	0	1 (B)	0	0	0	0	11 (1B)	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 (3B)	0	15						
	कुल योग ( NSA & SA)	387	113	29	10	1	16	35	7	3	1	5	40	9	4	0	5	58	14	9	1	9	15	4	0	0	1	25	6	3	0	4	9 (1B)	9 (1B)	0	0	0	0
<b>Abbreviations Used:</b> NSA – Non Scheduled Area, SA – Scheduled Area, GEN – General, U.R.- Unreserved, SC – Scheduled Castes, ST- Scheduled Tribes, OBC – Other Backward Classes, MBC- More Backward Classes, EWS – Economically and Muscular dystrophy, LD - Intellectual disability, M.I.- Mental Illness, S.L.D. - Specific Learning Disability, Mul.Dis.- Multiple Disability, Ex. Ser. – Ex Serviceman, P.H. – Physical Handicapped, NGE –Non Gazetted Employee, DC- Departmental Candidate, SP- Sports Person																																						
<b>टिप्पणी-</b> एकलिक विवरणता (Multiple Disability) श्रेणी के लिए कानूनिक (क-2) विभाग द्वारा जारी परिषद दिनांक 29.08.2019 में विवरणता की दर्शाई नई श्रेणियों में से (अ) एवं (ब) की अनिवार्यता के साथ (स) अथवा (द) (1) में वर्णित कोई एक विवरणता अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।																																						
<b>नोट-</b> विशेषज्ञान, उत्कृष्ट खिलाड़ी, विभागीय कर्मचारी एवं अवाधिकारित कर्मचारियों को देय आक्षण क्षेत्रिक (Horizontal) तथा मूलपूर्व शैक्षिकों को देय आक्षण प्रवर्गवाद क्षेत्रिक (Categorywise-Horizontal) है। अतः उक्त वर्गों हेतु आवधित पदों की संख्या कुल पदों की																																						

  
21/12/2024  
(सचिव)